

# राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण

बिहार, पटना


आर ब्लॉक रोड नं 2 दारोगा प्र 0 राय पथ, पटना- 800001, दूरभाष : 2506394, 2506395 ( फैक्स )

पत्रांक रा 0 आ 0 संविदा-सूचना-19/2015 772

दिनांक 30-7-15

प्रेषक,

विद्यु भुषण पाठक  
( जिला एवं सत्र न्यायाधीश )  
निबंधक



सेवा में,


सचिव,  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
बिहार, पटना।

विषय :- संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियेमितीकरण हेतु सूचनाओं का प्रेषण।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान सचिव-सह-सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-002 दिनांक-19-05-2015 के आलोक में संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियेमितीकरण पर विचारण हेतु राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना में संविदा पर नियोजित कार्यालय परिचारी (आई 0 टी 0 ब्याय) के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् है :-

1	प्रत्येक पद जिस नियोजन किया गया है, का पदनाम	कार्यालय परिचारी (आई 0 टी 0 ब्याय)
		1. श्री राजू कुमार 2. श्री पंकज कुमार
2	पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या	02 (दो)
3	किस योजना / परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केन्द्रीय या राज्य की योजना थी	किसी योजना / परियोजना के तहत नहीं। राज्य आयोग का कार्य निष्पादन हेतु।
4	नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ख' 'ग' या 'घ')	पद श्रेणी -घ
5	क्या यह पद स्वीकृत था ? अगर हाँ तो स्वीकृत्यादेश / पद सृजन आदेश	नहीं - परन्तु कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।
6	क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं?	नहीं - परन्तु पूर्व से कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।

DSD (HLC)



20/STN  
Com  
2/17

श्री राजू कुमार  
4-8-15

ST-581  
31/7/15

7	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/ नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-3757 दिनांक-24-08-2015 के आलोक में बेलट्रोन द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी गयी। पुनः विभागीय पत्रांक-4324 दिनांक-15-07-2014 द्वारा इनकी सेवा राज्य आयोग को उपलब्ध करायी गयी।  अवधि विस्तार:-1:-15-01-2015 से अगले छः माह के लिए 2:-16-07-2015 से अगले छः माह के लिए
8	नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि० से अभियाचना पर प्राप्त।
9	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि० द्वारा निर्धारित।
10	क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि० द्वारा निर्धारित।
11	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि० में निबंधन होता है।
12	नियोजन हेतु नियुक्ति/ नियोजन पदाधिकारी।	राज्य आयोग में कोई निर्धारित नहीं है।
13	उपर्युक्त नियुक्ति/ नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं।	लागू नहीं-इनकी सेवा बेलट्रोन से प्राप्त हुई है।
14	नियोजन पत्र/ अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए)	संलग्न
15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।	छः माह
16	प्रत्येक सेवाधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।	राज्य आयोग के कार्य की आवश्यकता को देखकर
17	प्रत्येक सेवाधि विस्तार आदेश का नमूना।	संलग्न
18	प्रत्येक पदवार मानदेय/ पारिश्रमिक/ वेतन/ ब्यदेवसपकंजमक चंल इत्यादि की भुगतये राशि।	रु० 9,990/-
19	जिस शीर्ष/ मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी।	व्यवसायिक एवं विशेष सेवार्ये मद।

20	जिस नियमावली/ संकल्प/परिपत्र के अर्न्तगत इन पदों का नियोजन की प्रक्रिया हुई, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)।	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि० द्वारा निर्धारित।
----	--	---

अनु:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह०/

निबंधक

राज्य आयोग

ज्ञापांक..... 772 ✓

दिनांक..... 30-7-15

प्रतिलिपि अनु के साथ प्रधान सचिव-सह-सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-002 दिनांक-19-05-2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

निबंधक

राज्य आयोग



**\*\*ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।**